

नगर पालिका, राजगढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/RAJGARH CHURU/FIRENOC/2026-27/68934
जारी दिनांक: 31-AUG-2026 वैधता दिनांक: 30-AUG-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: RAJBIR SINGH
आवेदक का पता: BRMR SS SCHOOL VILLAGE SHEOPURA TEH- RAJGARH DISTT- CHURU

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन BRMR SENIOR SECONDARY SCHOOL, NA, ON NH52 ROAD, VILLAGE SHEOPURA, , CHURU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्वोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. 06. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
4. 02. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
21. 01. नगरी विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.11(9)नवि/2020पार्ट जयपुर दिनांक 14.09.2023 के तहत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 103(1)(अपप), 337 एवं संपठित धारा 255, 291 एवं 325 के अन्तर्गत एन.ओ.सी जारी की जाती है
22. 05. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
23. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
24. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
25. फायर सिस्टम को चलाते हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
26. रोप लेडर व दो रास्ता भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
27. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
28. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रख जावे
29. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
30. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
31. भूमि व भवन सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।



Digitally signed by KRISHAN KUMAR
CHHABA
Designation: DC-EO-COMM.
Date: 2026-08-31 12:30:46 IST
Location: RAJGARH CHURU,
RAJASTHAN

v-2.1

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, राजगढ़